

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश
(बजट अनुभाग)

लखनऊ::दिनांक:: 09, August,2017

आहरण एवं वितरण अधिकारी, वाणिज्य कर,
फर्रुखाबाद, हमीरपुर, गोरखपुर, झाँझक एवं अमरोहा ।

शासनादेशसंख्या-क0नि0-4-290/11-2017-300(22)/16दिनांक 13/04/2017
द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2017-2018 के प्रथम 05 माहों (अप्रैल-2017 से
अगस्त- 2017 तक) के लिये अनुदान संख्या-89 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-
“2040-बिक्री, व्यापार आदि पर कर-800-अन्य व्यय- आयोजनेत्तर-03-वाणिज्य
कर आयुक्त का अधिष्ठान” के अधीन संलग्न विवरण के अनुसार धनराशि का आवंटन
किया जाता है । कृपया आवंटित की जा रही धनराशि का मितव्ययिता सम्बन्धी
शासनादेशों का अनुपालन करते हुये आवंटित बजट की सीमा तक सीमित रखें।

कृपया आवंटित की जा रही धनराशि का समुचित उपयोग कर लिये जाने की
कार्यवाही से मुख्यालय को भी अवगत करायें । यह आवंटन किसी भी प्रकार से व्यय
करने का अधिकार प्रदान नहीं करता, जब तक कि बजट मैनुअल और वित्तीय
हस्त-पुस्तिका के संगत नियमों एवं अन्य आदेशों/शासनादेशों के अन्तर्गत जहाँ शासकीय
अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, वहाँ ऐसी स्वीकृति व्यय करने
से पूर्व सक्षम स्तर से न प्राप्त कर ली जाये । अतः सक्षम अधिकारी से नियमानुसार
स्वीकृति प्राप्त करके ही भुगतान सुनिश्चित किया जाये ।

प्रमाणित किया जाता है कि इस आवंटन की प्रविष्टि बजट-आवंटन पंजिका के सम्बन्धित
पृष्ठों पर कर ली गयी है ।

संलग्नक-: यथोपरि ।



(सुभाष चन्द्र यादव)

एडीशनल कमिश्नर (लेखा) वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

प0प0सं0 एवं दिनांक यथोपरि ।

प्रतिलिपि :-निम्नलिखित को उपर्युक्त संलग्नकों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1:-मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी फतेहगढ़, हमीरपुर, गोरखपुर, झाँझक * कानपुर
देहात एवं अमरोहा ।

2:-उपमहालेखाकार, राजकोष एवं वी0एल0सी0, कार्यालय महालेखाकार(लेखा एवं
हकदारी)-प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।

(सुभाष चन्द्र यादव)

एडीशनल कमिश्नर (लेखा) वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

